रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 08, 1935
No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 08, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जनवरी, 2014

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/85/2014.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अध्याय IV

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में:

विनियम 20(1)(ख) में, शब्द 'दसवाँ भाग' को शब्द 'बीसवाँ भाग' से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/13/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd January, 2014

Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Fifth Amendment) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./2/85/2014.—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Fifth Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000,

In Regulation 20(1)(b): The word 'one-tenth' may be replaced with the word 'one- twentieth' .

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

403 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.